

क्रम संख्या-869(क)

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

साइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०-41

(साइसेन्स दू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेंट)



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 30 नवम्बर, 1988

अग्रहायण 9, 1910 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य तथा रसद अनुभाग-10

संख्या जी०आई०-10/29-10-सी०पी० (8)-87

लखनऊ, 30 नवम्बर, 1988

अधिसूचना

१० आ०-1017

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (अधिनियम संख्या 68 सन् 1986) की धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1988

1---(क) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1988 कही जायेगी।

सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(ख) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 6 का संशोधन 2—उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 के नियम 6 में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये उपनियम (4) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायगा, अर्थात्

स्तम्भ-1

राज्य आयोग के प्रधान और सदस्य पांच वर्ष की अवधि के लिये या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें जो भी पूर्ववर्ती हो, पद धारण करेंगे और पुनः नाम निर्देशन के लिये पात्र नहीं होंगे।

परन्तु प्रधान और सदस्य—

(क) किसी भी समय राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं।

(ख) उप नियम (5) के उपबन्धों के अनुसार अपने पद से हटाये जा सकते हैं।

स्तम्भ-2

6—(4) (क) राज्य आयोग के प्रधान पांच वर्ष की अवधि के लिये या 70 वर्ष की आयु तक, इनमें जो भी पूर्ववर्ती हो, पद धारण करेंगे और पुनः नाम निर्देशन के लिये पात्र नहीं होंगे।

(ख) राज्य आयोग के सदस्य पांच वर्ष की अवधि के लिये या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें जो भी पूर्ववर्ती हो, पद धारण करेंगे, और पुनः नाम निर्देशन के लिये पात्र नहीं होंगे।

परन्तु प्रधान और सदस्य—

(क) किसी भी समय राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं :

(ख) उपनियम (5) के उपबन्धों के अनुसार अपने पद से हटाये जा सकते हैं।

आज्ञा से,
नीरा यादव,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. GI-10/XXIX-10-CP(8)-87, dated Lucknow, November 30, 1988 :

No. GI-10/XXIX-10-CP(8)-87

Dated Lucknow, November 30, 1988

In exercise of the powers under sub-section (2) of section 30 of Consumer Protection Act, 1986 (Act no. 68 of 1986), the Governor is pleased to make the following rules with the view to amending the Uttar Pradesh Consumers Protection Rules, 1987 :

THE UTTAR PRADESH CONSUMERS PROTECTION (FIRST AMENDMENT) RULES, 1988

Short title and commencement

1. (a) These rules may be called the Uttar Pradesh Consumers Protection (First Amendment) Rules, 1988.

(b) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Amendment of rule 6

2. In the Uttar Pradesh Consumers Protection Rules, 1987, in rule 6 for the existing sub-rule (4) set out in column I below the sub-rule as set out in column II shall be substituted namely:—

COLUMN I

Existing sub-rule

6. (4) President and the member of the State Commission shall hold office for a term of five years or upto the age of 65 years whichever is earlier and shall not be eligible for renomination.

COLUMN II

Sub-rule as hereby substituted

6. (4)(a) President of the State Commission shall hold office for a term of five years or upto the age of 70 years whichever is earlier and shall not be eligible for re-nomination ;

(b) the member of the State Commission shall hold office for a term of five years or upto the age of 65 years whichever is earlier and shall not be eligible for re-nomination.

COLUMN I <i>Existing sub-rule</i>	COLUMN II <i>Sub-rule as hereby substituted</i>
Provided that president and member may:— (a) by writing under his hand and address to the State Government resign his office any time; (b) be removed from his office in accordance with provisions of sub-rule (5).	Provided that president and member may:— (a) by writing under his hand and address to the State Government resign his office any time; (b) be removed from his office in accordance with provision of sub-rule (5).

By order,
NEERA YADAV,
Sachiv.